

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-01-23/2025/

पटना, दिनांक -

जल संसाधन विभाग, पटना के निम्नलिखित कनीय अभियंता (असैनिक) को निलम्बन मुक्ति उपरांत विभाग में योगदान की तिथि से पदस्थापन में प्रतीक्षारत अवधि (जो उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित है) को बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (ख) एवं वित्त विभागीय परिपत्र सं0-10128 (वि0) (2) दिनांक 26.12.2003 के तहत विनियमित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कनीय अभियंता का नाम/आई0डी0संख्या	वर्तमान पदस्थापन	विनियमन की अवधि (पदस्थापन की प्रतीक्षा में व्यतीत अवधि)
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार सिंह / जे0 9864	कनीय अभियंता, उत्तर कोयल बॉध एवं बराज अवर प्रमंडल-02, मोहम्मदगंज	दिनांक-18.12.2024 (01 दिन) को पारगमण अवकाश एवं दिनांक 19.12.2024 से 28.02.2025 (72 दिन) तक = कुल 73 दिन

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद के पत्रांक-681 दिनांक 02.04.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल बॉध एवं बराज अवर प्रमंडल-02, मोहम्मदगंज/ श्री अनिल कुमार सिंह, कनीय अभियंता (जे0 9864), उत्तर कोयल बॉध एवं बराज अवर प्रमंडल-02, मोहम्मदगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 4215 पटना/दिनांक - 23/07/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

N. Q. A. S. 21/07/26
अवर सचिव (प्रबंधन)।